प्र पत्र आ

८४

३० . (V१)

क्र. एफ. ६(४०) रा/वन/६१ दि. २५-३-१९६१

चूंकि इससे संलग्न अनुसूची में समाविष्ट विनिर्दिष्ट भूमि तथा बन्जड़ भूमि के अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार व सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम १९५३ :१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३ की धारा २९ उप धारा ३ के अधीन राजस्व विभाग के विज्ञप्ति संख्या ९७८८२ एफ० १५ :२: रे० ५७ दिनांक २१. ११. ५७ को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप धारा :१: के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की उक्त अधिनियम के अध्याय ४ के उपबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बन्जड़ पर लागु होंगे जो की एतत्पश्चात रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्य पाल की आज्ञा से
s.d.
शासन सचिव।

भूमि का विवरण

वन खण्ड टोकड़ा :बी:

जिला	तहसील	पट्टी	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
बून्दी	हिन्डोली		१ हिन्डोली	:-५८०. १४	वनखण्ड का सीमा
			२ कांपाडी	:-३५२. ६६	विवरण संलग्न है।
			३ गुढ़ापुरा	:-३४३. २०	
			४ मीमाणा	:-१२०. [illegible]६	

योग :- १४२७. ०५ एकड़

True-Copy.

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

सहायक वन व [illegible] अधिकारी

९५२
55

प्रपत्र बी

रा. एफ. ६ (५८) रा. क. ६१ दि. १५-५-६२.

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूचि में समाविष्ट वन भूमि तथा बन्जर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेख राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ : १९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३ : की धारा २९ की उप-धारा : ३ : के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा : १ : के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बन्जर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

शासन सचिव ।

भूमि का विवरण

वन खन्ड हिन्डौली काछोला

जिला	तहसील	पट्टी	मौजा	अनुमानिक क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
बून्दी	हिन्डोली	—	१. हिन्डोली	२४१०=०२	सीमा विवरण का परिशिष्ट (Schedule A) "अ" संलग्न है
			२. नेत	२१=१८.	
			३. मेंढी	८३३=२०	
			४. रामन्दा	६१=६८	चर्नी मील १२.३१
			५. गणेशगंज	१०३५=६०	
			६. हरणा	७=१८.	कानिकोनी मीटर ३१.८८
			७. काछोला	४६०=४२	
			८. सुरवपुरा उर्फ रादुया की झापड़िया	३४२=८६	
			९. खालड़ा	१०१७=४०	
			१०. जुहारिया	७३६=८०	
			योग	७८२७=६२ एकड़	

28/3/61
A.F.S.O. Bundi

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

(५)

रा० मु०, उदयपुर—३०६-३०००-३-५७ (धारा २० रा० को० अ० अधिकार व रियायतें)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

दिनांक सन्

विविध

जैसा कि विज्ञप्ति संख्या १५५० (एफ ३४(१८) रे० ०/५४) दिनांक २८-५-५५ में संलग्न परिशिष्ट (अ) में वर्णित भूमि को जो आरक्षित वन वन अधिनियम (अधिनियम संख्या सन) के अन्तर्गत बनाना प्रस्तावित किया गया था;

और जैसा कि उक्त अधिनियम के अनुसार जो इस भूमि में अधिकारों के दावे प्रस्तुत करने की निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी है;

और जैसा कि परिशिष्ट (ब) में अंकित मात्रा तक दावे स्वीकृत कर लिए गये हैं और रियायतें (जो राज्य सरकार की इच्छानुसार वापस ली जा सकती हैं) प्रदत्त करदी गई हैं;

अतः इसके द्वारा ज्ञापन किया जाता है कि इस परिशिष्ट में उल्लेखित ग्राम समूह परिशिष्ट में अंकित मात्रा तक, तथा उन ऋतुओं में, वन के उन भागों में, उन नियमों के अन्तर्गत जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो उपभोग करते रहेंगे ;

और इसके द्वारा यह भी ज्ञापन किया जाता है कि राज्य सरकार राजस्थान वन अधिनियम (अधिनियम संख्या १३ सन् १९५३) की धारा २० के अन्तर्गत उक्त भूमि को दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है।

आज्ञानुसार

s/d

राजस्व सचिव

राजस्थान सरकार

जयपुर

परिशिष्ट (अ)

जिला	तहसील	रेन्ज	वनखण्ड	क्षेत्रफल	सीमा विवरण
बूंदी	हिण्डोली	हिण्डोली	नाहरघाट / माँझाघ	८८६९ / एकड़	सीमा विवरण का परिशिष्ट "Schedule A" (अ) संलग्न है।

मुकाबला किया

पढ़ा

[illegible] 19-2-76

[illegible]

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, [illegible] 1956

संख्या 16-22 (५) राज/ग्रुप (३) चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं, अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है,

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३, की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु कि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट, संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट आफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट आफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथा साध्य, उसी प्रणाली में किया जायगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१) १२, १३, १४, १७, १८, तथा १९ में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार, उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला उठाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना, अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना, और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

क्र० १	नाम ब्लाक २	नाम तहसील ३	नाम जिला ४	सीमा ५	विवरण ६
२६	डोलन	हिण्डोली	बून्दी	[illegible]	[illegible]

नोट:—राजस्थान राजपत्र दिनांक [illegible] के भाग [illegible] में पृष्ठ संख्या [illegible] पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु०, जयपुर [illegible]

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

प्र पत्र जी

दि. २२-११-६२ ... ६२

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि तथा वनखण्ड भूमि में या उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार व सीमा की जांच और उनका अवलोकन राजस्थान वन अधिनियम १९५३ :१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३ का धारा २९ उप धारा ३ के अधिन राजस्व विभाग से विज्ञप्ति संख्या १०८८२ एफ ११ :२: रे० ५७ दिनांक २१. ११. ५७ को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है ।

अत अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप धारा :१: के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय ४ अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और वनखण्ड पर लागु होंगे और वह राजस्थान रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्य पाल की आज्ञा से
शासन सचिव ।

भूमि का विवरण

वन खण्ड टोकड़ा :२ :

जिला	तहसील	पट्टी	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३		५	६
बून्दी	हिन्डोली		१ टोकड़ा :-	७६२, ६२	वनखण्ड का सीमा विवरण संलग्न है ।
			२ मीनाणा :-	३३६, ८४	
			३ सरुपाडा :-	२०, ७२	
			४ किशोरपुरा उर्फ बिकरण :-	१५२, ३४	
			योग :-	१०७२, ५२ एकड़	

वर्किंग प्लान - ... ९.६७ - ४.३२

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

विज्ञप्ति

जयपुर, ~~नोवेम्बर~~ २१-१-७६

१६-८-२एफ १५(३)रे क-/७६ चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि ... सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी भाग की (Entitled) है;

...र चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९, उप-धारा ... अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१), १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्त्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

S.d. R.N. Hasan

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

सं० १	नाम ब्लॉक २	नाम तहसील ३	नाम जिला ४	सीमा ५	विवरण ६
१.	मोनवा से [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

नोटः—[illegible] में पृष्ठ संख्या [illegible] पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु० उ० १००६ [illegible]

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

(२)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, २१ नोवेम्बर १९५८

संख्या १७८८२ एफ०१५ (२) [illegible] कि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के [illegible] सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि [illegible] राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) [illegible] का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी [illegible] अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा [illegible] भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें [illegible] किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को [illegible] की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट संख्या १३) की धारा २९ [illegible] धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट [illegible] ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१), १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह० आर० एन० [illegible]

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

सं०	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
१	२	३	४	५	६
४	बांसीदुगारी	नैनवा	बूंदी	पूर्व - [illegible]	[illegible]

[illegible] Dr. T. Mohan Raj Deputy Conservator of Forests Bundi (Raj.)

नोट—राजस्थान राजपत्र दिनांक ६-२-५८ के भाग में पृष्ठ संख्या ४६ पर प्रकाशित हुआ। [illegible]

रा० मु० उ० १००६-११-६६-३,००० फा०

(परिशिष्ट "ब")

विज्ञप्ति

संख्या एफ. ७ (१) वन/६३ दिनांक [illegible]

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूचित में यथाविनिर्दिष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार [illegible] अभिलेख राजस्थान अधिनियम १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा १ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ५ के अनुसार, पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

[illegible] ७.२.६३

राज्यपाल की आज्ञा से,

S d.

शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला १	तहसील २	वनखण्ड ३	मौजा ४	क्षेत्रफल एकड़ों में ५	विशेष विवरण ६
बून्दी	हिन्डोली		रघुनाथपुरा	५७५ - ६८	खसरा बीघा बिस्वा नम्बर नोट :—
			रडकिया	३३ - ७०	सीमा विवरण का
			चैनपुरिया	६४९ - ६०	परिशिष्ट (अ)
			सूरजपुरा	३१ - ४८	संलग्न हैं।
			रामपुरिया	२५७ - ६८	
			[illegible]	८५२ - ६८	
			टहला	२६० - १६	
			विजयगढ़	२५१ - ७४	
			[illegible]	७५२ - १८	
			योग	३७७५ - ५०	

वर्ग मील ५.९५

[illegible] बीघा मीटर

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

संख्या १७ ८८२ एफ १४(२) रे० क ५८ जयपुर, २४ मई[illegible] १९५८

...चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन भूमि तथा बंजर भूमि ...कार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं, अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की ...कारी (Entitled) है,

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३, की धारा २९, उप-धारा (२) ...र्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी ...कार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या ...क अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु ...न कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट, संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त ...का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट आफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट आफिसर को पूर्वोक्त ...मि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती ...सी जांच तथा अभिलेखन, यथा साध्य, उसी प्रणाली में किया जायगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१) ...३, १४, १७, १८, तथा १९ में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में, ...सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन ...ected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की ...ायेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार, उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त ...न के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की ...से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया ...था किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना, अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना ...ा जाना, और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन ...ेतु किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

...म ...ाड़ २	नाम तहसील ३	नाम जिला ४	सीमा ५	विवरण ६
[illegible]	हिण्डोली	बून्दी	उत्तर :- लक्ष्मीपुरा [illegible]	[illegible]

...राज-पत्र दिनांक ६/३/५८ के भाग — में पृष्ठ संख्या ५६ पर प्रकाशित हुआ।

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, २९.१.१९५८.

संख्या १६-८-८-२२७क, १५(१) [illegible] चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उसमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की अधिकारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१), १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्त्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार का कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला बनाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

क्र० सं०	नाम ग्राम	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
१	२	३	४	५	६
	भैंसखुर्द [illegible]	नैनवां	बून्दी	पूर्व :- नैनवा से जाने वाली सड़क पर रोड़ से नैनवा की [illegible] को [illegible]	[illegible]

नोट—राजस्थान राज-पत्र दिनांक ६-२-५८ के भाग में पृष्ठ संख्या ६२ पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु० ५० १००८-११-६६-१,००० प्रा०

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forest
Bundi (Raj.)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (६)

विज्ञप्ति

जयपुर, [illegible] २१; ९८ ५८

संख्या १७-८८२ एफ १५ (२) रे. क.

चूंकि निम्नांकित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि [illegible] बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा [illegible] की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पंहुचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१), १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्त्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

सं०	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
१	२	३	४	५	६
१	मैनवा ८६ A		बून्दी	पूर्व- देवजी के गुवा के पास [illegible] खेतों के [illegible] से सीधे गुवा से इन्द्रगढ़ जाने वाला रास्ता [illegible] [illegible] तक। [illegible] अजमेर जाने वाला रास्ते के [illegible] तक। [illegible] के पास [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] जाने वाला रास्ता का [illegible] [illegible] [illegible] मोड़ से मैनवा जाने वाला रास्ता।	

नोटः—राजस्थान राज-पत्र दिनांक ६-२-५८ के भाग में पृष्ठ संख्या ८५ पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु० उ० १००९-११-६६-२,००० फा०

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (६)

विज्ञप्ति

संख्या ९६-८८२ उ०.५५(२) जयपुर, ...२५-९-९६

२५./९६ चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१), १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्त्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

सं० १	नाम ब्लॉक २	नाम तहसील ३	नाम जिला ४	सीमा ५	विवरण ६
	[illegible] (D)	नैनवां	बून्दी	[illegible]	[illegible]

नोटः—राजस्थान राज-पत्र दिनांक ८-२-९८ के भाग में पृष्ठ संख्या ४८ पर प्रकाशित हुआ।

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

रा० मु० उ० १००९-११-६६-३,००० फा०

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, २९.११.५७

संख्या १८८८२ एफ १५(२) रा. /५७

चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है,

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पंहुचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट, संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथा साध्य, उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१) १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार, उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

शुद्ध प्रतिलिपि की शुद्ध नकल

राज्यपाल की आज्ञा से,
s.d
शासन सचिव।

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा (राजस्थान)
22.3.79

प्रथम अनुसूची

सं०	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
१	२	३	४	५	६
1	जंगलात 13.	हिण्डोली	बून्दी	पूर्व:- यहाँ से मेनमल की सरहद [illegible] जाने वाले रास्ते के [illegible] तक और सरहद से मिलाता के आबाद खेत व जंगलात के आबाद खेत की [illegible] पहाड़ी से जंगलात से [illegible] के [illegible] पत्थरों पर। पश्चिम:- यहाँ से सरहद [illegible] रास्ते के बाद [illegible] तक	[illegible]

नोट:— राजस्थान राज-पत्र दिनांक ८ ३/५८ के भाग [illegible] में पृष्ठ संख्या ५८ पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु० ज० १-५९-१०-२४-१००० का०

नकलकर्ता
22-3.79

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग(क) (ग्रुप 8) विभाग
विज्ञप्ति

जयपुर 22/2/85

क्रमांक F2(18)राज-8/84

चूँकि निम्नांकित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उसमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश का स्वत्वधारी (Entitled) है.

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट १९५३ की धारा २९ उपधारा १ के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है.

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं. अतः

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जाँच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है. परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकारी के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है.

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर (असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर) को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों को जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११(१) १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है.

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है. परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा.

और सरकार उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन में वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का ग्रहीत किया जाना अथवा इसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या अथवा इसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि पर कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये वर्जित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है.

संलग्न:- प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से
उपशासन सचिव
(बी.टी.)

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

प्रारूप (अ):

प. ६ (९०) रा./व./६९ दि. २४

चूंकि नीचे अनुसूची में वर्णित वन भूमि तथा बंजड़ भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उपधारा ३ के अधीन राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९०८८२ एफ ११ (२) रे० ग्रा ५७ दिनांक २१. ११. ५७ को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा [illegible] के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ५ के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजड़ भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात रक्षित वन कहलाया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन सचिव

भूमि का विवरण

वनखण्ड उमरथूणा

जिला	तहसील	पट्टी	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
बून्दी	हिण्डोली		१. उमर	:- १४०७. ७६	
			२. भीलगांव उर्फ मोरैला	:- १०७. २२	वनखण्ड का सीमा विवरण संलग्न है।
			३. कावरी	:- २६२. ०८	
			४. फारा	:- ४००३. ७०	
			कुल योग	:- ५८१०. ७६ एकड़	

६ - ०८ तत्र कीटन
२३ - ४९ वर्ग कि० मी०

Dr. T. Mohan Raj
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)